प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर)

दांडिक अपील क्र. 1545/1994

अपीलकर्तागण: प्रमोद मिंज और अन्य

बनाम

प्रत्यर्थी: मध्य प्रदेश राज्य

आदेश सुनाने हेतु दिनांक 13.8.2010 को सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

2010:CGHC:11932

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर)

दांडिक अपील क्र. 1545/1994

अपीलकर्तागण: प्रमोद मिंज और अन्य

बनाम

प्रत्यर्थी: मध्य प्रदेश राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सुश्री शर्मिला सिंघई, अपीलकर्ता की अधिवक्ता।

श्री पंकज श्रीवास्तव, उत्तरवादी/राज्य की तरफ से पैनल अधिवक्ता।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अंतर्गत दांडिक अपील।

निर्णय

(13.08.2010)

1. यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जशपुरनगर द्वारा सत्र विचारण क्र. 66/1994 में दिए गए निर्णय और आदेश दिनांक 30.11.1994 के विरुद्ध है, जिसमें आरोपियों/अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत

दोषी ठहराया गया था और उनमें से हर एक को दस साल की सश्रम कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई गई थी जिसमें जुर्माना न भरने पर चार महीने की सश्रम कारावास की अतिरिक्त सजा सुनाई।

2. अभियोजन का मामला संक्षिप्त में यह है कि दिनांक 09.01.1994 को दोपहर करीब 3.30 बजे अभियोक्त्री (अ.सा.- 2) जो करीब 14-15 साल की थी, ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी/2) दर्ज कराई जिसमें यह आरोप लगाया था कि दिनांक 28.12.1993 को शाम करीब 7 बजे जब वह रोशन नाम के एक आदमी के साथ अरहर के खेत से लौट रही थी, तो आरोपी/अपीलकर्ता प्रमोद उसे रास्ते में मिला और अचानक उसकी कमर पकड़ ली। इस पर जब उसने विरोध में शोर मचाया, तो आरोपी/अपीलकर्ता नीलम और स्टीफन भी वहां आ गए और आरोपी नीलम रोशन को गांव की ओर ले गया। इसके बाद, आरोपी प्रमोद ने उसे जमीन पर पटक दिया, उसके अंतर्वस्त्र उतार दिए और उसके साथ जबरदस्ती लैंगिक संभोग किया, जिससे उसे दर्द हो रहा था। जब उसने आरोपी प्रमोद से पीछा छुड़ाने की कोशिश की, तो आरोपी स्टीफन, जिसके हाथ में चाकू था, ने बोरे से उसका चेहरा ढक दिया और उसके साथ जबरदस्ती लैंगिक संभोग किया। अभियोक्त्री के मुताबिक, आरोपी नीलम और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लॉरेंस खेस ने भी उसके साथ वही किया और फिर सभी आरोपी/अपीलकर्ता उसे गांव ले गए और वहां छोड़कर वापस आ गए। इसके बाद वह लीला नाम की एक लड़की के घर गई, जहाँ वह अपनी बड़ी बहन इस्लिया से मिली और उसे पूरी घटना बताई।अभियोक्त्री के अनुसार, उसने इस्लिया और संगीता के अलावा किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। दिनांक 9.1.1994 को जब उसकी माँ ने पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था, तो उसने उन्हें भी इस घटना के बारे में बताया और फिर मामले की रिपोर्ट पुलिस को दी गई। अन्वेषण के बाद, पुलिस ने दिनांक 15.2.1994 को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (छ) के तहत अभियोगपत्र प्रस्तुत किया और फिर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 8.4.1994 को आरोपी/अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत आरोप विरचित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. आरोपी/अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए, अभियोजन ने अपने प्रकरण के समर्थन में 11 साक्षियों का परीक्षण किया है। आरोपी/अपीलकर्ता के बयान भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभिलिखित किए गए, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोप से इनकार किया और खुद को बेगुनाह और मामले में गलत फंसाए जाने की बात कही।

4. पक्षकारों को सुनने के बाद विचरण न्यायालय ने आरोपी/अपीलकर्ता को ऊपर बताए अनुसार दोषी ठहराया और सज़ा सुनाई।

5. पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुना गया और अभिलेखों में मौजूद महत्वपूर्ण तथ्यों का परिशीलन किया गया, जिसमें आक्षेपित निर्णय भी शामिल है।

6. आरोपी/अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में लगभग 12 दिनों की बिना किसी कारण के अत्यंत विलंब किया गया, क्योंकि घटना दिनांक 28.12.1993 को हुई थी, लेकिन रिपोर्ट दिनांक 9.1.1994 को दर्ज हुई। उन्होंने कहा कि अभियोक्त्री की बताई कहानी अत्यधिक असंभाव्य है, इसलिए यह भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत आरोपी/अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि अभियोक्त्री के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं मिली, हालांकि उसके साथ सामूहिक बलात्संग होने का आरोप है, जो अभियोक्त्री के पूरे मामले को भी गलत साबित करता है क्योंकि अगर 14-15 साल की लड़की के साथ चार लोग बलात्संग करते हैं, तो उसके शरीर पर कोई न कोई चोट निश्चित ही उपस्थित होगा। अपीलकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार, प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियोक्त्री ने कहा है कि आरोपी/अपीलकर्ता ने उसके साथ सिर्फ़ एक बार बलात्संग करती किया, लेकिन न्यायालय में दिए बयान में उसने अपनी बात

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सुधारी है और कहा है कि उन्होंने उसके साथ दो बार बलात्संग किया था। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि अपने प्रतिपरीक्षण के छठे कंडिका में अभियोक्त्री ने कहा है कि जब उसके परिवार वालों को रोशन नाम के एक आदमी के साथ उसके प्रसंग के बारे में पता चला, तो वे आरोपी/अपीलकर्ता से नाराज़ हो गए, यह सोचकर कि उन्होंने ही गाँव में यह अफवाह फैलाई है और इसलिए उन्हें झूठे केस में फंसाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि अभियोक्त्री के साक्ष्यों से यह साफ़ है कि चार लोगों द्वारा बलात्संग किए जाने के बाद भी वह घूमती रही और घोलेंग गांव गई, जिससे यह भी पता चलता है कि उसकी बताई पूरी कहानी मनगढ़ंत है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. दूसरी तरफ, प्रत्यर्थी/राज्य के अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और कहा कि उस समय अभियोक्त्री की उम्र लगभग 14-15 साल थी और वह आरोपी/अपीलकर्ताओं की हवस का शिकार बनी थी। उन्होंने कहा कि अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डॉक्टर ने भी कहा है कि उसके साथ बलात्संग हुआ था और इसलिए जब अभियोक्त्री का बयान चिकित्सीय साक्ष्य से समर्थित है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत आरोपी/अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराना उचित है और इस अपील में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, राज्य के अधिवक्ता ने

कहा कि अभियोक्त्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उसके साथ यह अपराध चाकू की नोक पर किया गया था और क्योंकि वह उनके कृत्य से डर गई थी, इसलिए रिपोर्ट दर्ज करने में 12 दिन का विलंब हुआ।

8. अभियोक्त्री (अ.सा.-2) ने यह अधिकथित किया है कि दिनांक 28.12.1993 को गांव में एक शादी थी और शाम को जब वह रोशन नाम के एक आदमी के साथ पास के वॉच-टावर से गांव वापस आ रही थी, तो आरोपी/अपीलकर्ता प्रमोद और नीलम विपरीत दिशा से आए और उसे पकड़ लिया। उनसे छुटकारा पाने के लिए, उसने आरोपी/अपीलकर्ता प्रमोद की पीठ पर काटा भी, लेकिन तब भी उसने उसे नहीं छोड़ा। उसने कहा है कि उसके बाद आरोपी प्रमोद उसे अरहर के खेत में ले गया, उसे ज़मीन पर गिरा दिया, उसकी अंतर्वस्त्र उतार दिए और उसके साथ ज़बरदस्ती लैंगिक संभोग किया। अभियोक्त्री के अनुसार, जब उसने भागने की कोशिश की, तो आरोपी स्टीफन ने उसे चाकू दिखाया और उसके चेहरे को कमर तक बोरी से ढकने के बाद, उसने भी वही किया जो आरोपी प्रमोद ने किया था। इसके बाद, आरोपी/अपीलकर्ता नीलम और लॉरेंस ने भी वही किया। उसने यह भी कहा है कि लड़का रोशन जो पहले उसके साथ था, उसे आरोपी नीलम गांव की ओर ले गया था। अभियोक्त्री ने कहा है कि उसके बाद चारों

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आरोपी/अपीलकर्ता उसे पास के कटहल के पेड़ के पास ले गए और फिर से उसके साथ जबरदस्ती लैंगिक संभोग किया। इस बीच, कहा जाता है कि उनमें से किसी ने उसके शरीर के ऊपर से बोरा हटा दिया और फिर वह पैदल उस घर वापस आ गई जहां शादी हो रही थी। अभियोक्त्री के अनुसार, सभी आरोपी/अपीलकर्ता उक्त गांव के होने के कारण, वह उन्हें जानती थी। इसके बाद, अभियोक्त्री ने रोशन (अ.सा-3) और संगीता (अ.सा-5) को घटना की जानकारी दी और उनसे उसे घर ले जाने का अनुरोध भी किया। अभियोक्त्री के अनुसार, सभी आरोपियों/अपीलकर्ताओं ने उसे घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी और इस वजह से उसने घटना के बारे में अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं बताया। उसके अनुसार, जब यह घटना की जानकारी पूरे गांव में फैल गयी तभी उसके परिवार के सदस्यों को भी इस बारे में पता चला। जिसके बाद, रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 दर्ज किया गया, अभियोक्त्री को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया, उसकी स्कर्ट, ब्लाउज और अंडरवियर को पुलिस ने प्रदर्श. पी-3 के तहत जब्त कर लिया। प्रतिपरीक्षण में, अभियोक्त्री ने कहा है कि उसका पिछले एक साल से रोशन नाम के एक व्यक्ति के साथ प्रसंग चल रहा था और वह आरोपी/अपीलकर्ता नीलम था जिसने उसे गांव की ओर ले गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियोक्त्री ने माना कि रिपोर्ट में उसने यह बात नहीं बताई थी कि कटहल के पेड़ के पास उसके साथ पुनः बलात्संग किया गया था। अभियोक्त्री के अनुसार, वह सुबह 4 बजे घर वापस आई थी, जहां शादी हो रही थी। उसने कहा है कि गांव के लोगों को इस घटना के बारे में एक या दो दिन के बाद पता चल गाया होगा और शायद आरोपी/अपीलकर्ताओं ने ही यह खबर सार्वजनिक की होगी। उसके अनुसार, वह दिनांक 2.1.1994 को घोलेंग गांव पहुंची थी। उसने कहा है कि रोशन के साथ उसके घनिष्ठता थी, जिसने उसके साथ सिर्फ एक बार शारीरिक संबंध बनाए थे। अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 4 में अभियोक्त्री ने कहा है कि रोशन ने उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की, जबकि उसने उससे ऐसा करने का अनुरोध किया था। उसके मुताबिक, उसने शोर मचाया था लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। उसने कहा है कि हालांकि उसका चेहरा बोरी से ढका हुआ था, लेकिन वह आरोपी/अपीलकर्ताओं को बोरी के छेद से देख पा रही थी। रोशन के साथ उसके रिश्ते के बारे में गांव वालों को पता थे लेकिन परिवार वालों को नहीं और गांव वालों द्वारा फैलाई गई खबर की वजह से ही उसके परिवार वालों को इसके बारे में पता चला। अपने अभिसाक्ष्य के कंडिका 6 में अभियोक्त्री ने माना है कि अगर गांव में किसी अविवाहित लड़की का किसी लड़के के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

साथ प्रेम प्रसंग होता है और अगर वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो गांव वालों को यह पसंद नहीं आता। उसने कहा है कि जब उसके परिवार वालों को रोशन के साथ शारीरिक संबंध के बारे में पता चला, तो उन्होंने आरोपी/अपीलकर्ताओं पर गुस्सा दिखाते हुए कहा कि ज़रूर उन्होंने ही यह अफवाह फैलाई होगी और फिर गांव वालों से सलाह-विमर्श करने के बाद रिपोर्ट दर्ज की गई।अपने अभिसाक्ष्य के कंडिका 8 में उसने आगे माना है कि उसके पिता किसी दूसरे गांव के कोतवार थे और वह अक्सर पुलिस थाना जाते थे और पुलिस वालों से उनके अच्छे रिश्ते थे और वह जो भी सुझाव देते थे, पुलिस वाले उसे मान लेते थे। उसने कहा है कि उसने अपने पिता के कहने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी और वह भी ऐसा ही करना चाहती थी। उसके अनुसार, घटना के बाद उसके मन में कोई डर नहीं था। अभियोक्त्री ने आगे कहा है कि उसने पुलिस के सामने इतनी देर से रिपोर्ट दर्ज कराने का कोई कारण नहीं बताया था और उसने अपने अंडरवियर और पेटीकोट धोए थे। रोशन (अ.सा-3) और संगीता (अ.सा-5), जिन्हें अभियोक्त्री ने बलात्संग की पूरी घटना बताई थी, उन्होंने अभियोक्त्री के मामले का समर्थन नहीं किया है। अभियोक्त्री के पिता रॉबर्ट (अ.सा-4) ने कहा है कि उन्हें अपनी बहन से पता चला कि अभियोक्त्री के साथ लैंगिक संभोग किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

फिर मामला गांव की पंचायत में गया जहां गांव वालों को वहां उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया और पंचायत में अभियोक्त्री ने बताया कि आरोपी/अपीलकर्ताओं द्वारा उसके साथ जबरदस्ती लैंगिक संभोग किया था। उसके अनुसार पंचायत ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला लिया। इस गवाह ने यह भी कहा है कि वह कोतवार होने के नाते अक्सर थाने जाता था, पुलिस वालों से उसके संबंध काफी अच्छे थे और वह पुलिस की सलाह मानता था और पुलिस भी यही करती थी। जुलिता कुजूर (अ.सा-7) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि शुरू में अभियोक्त्री ने घटना की जानकारी नहीं दी थी और जब उसे गांव वालों के जरिए पता चला तभी उसने यह बताया। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने माना कि अभियोक्त्री का रोशन के साथ प्रेम संबंध की अफवाह फैली हुई थी और घटना के दिनांक को उन दोनों को आरोपी/अपीलकर्ताओं ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। डॉ. यू.पी.एस. मालवीय (अ.सा-8) जिन्होंने आरोपी/अपीलकर्ताओं का चिकित्सीय परीक्षण किया था, उन्होंने कहा है कि वे यौन सम्बन्ध बनाने में सक्षम थे। इस साक्ष्य द्वारा दी गई रिपोर्ट प्रदर्श पी-13 से प्रदर्श पी-16 हैं। डॉ. कुमुदिनी केरकेट्टा (अ.सा-9) जिन्होंने अभियुक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण किया था, ने अपने साक्ष्य में कहा है कि दो उंगलियां मुश्किल से उसकी योनि में गयी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और उसे अपने निजी हिस्से में दर्द महसूस हो रहा था। इस साक्षी के अनुसार, अभियोक्त्री की योनिच्छेद फटी हुई थी और वहां सूजन थी लेकिन उसे संघर्ष का कोई निशान नहीं दिखा। इस साक्षी के अनुसार, अभियोक्त्री के साथ बलात्संग हुआ था। अभियोक्त्री की उम्र का पता लगाने के लिए, इस साक्षी ने उसे एक्स-रे के लिए निर्देशित किया था।

9. इस तरह अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अस्पष्टीकृत कारण के 12 दिन के अत्यधिक विलंब से दर्ज की गयी थी, क्योंकि घटना दिनांक 28.12.1993 को हुयी थी, जबकि पुलिस को मामला दिनांक 9.1.1994 को रिपोर्ट किया गया था। अभिलेखों के अनुसार, हालांकि अभियोक्त्री को आरोपी/अपीलकर्ताओं ने धमकाया था, उसने यह बात मानी है कि घटना के बाद वह बिना किसी डर के आज़ादी से घूमती रही और दिनांक 2.1.1994 को घोलेंग गांव आई, फिर भी रिपोर्ट तुरंत दर्ज नहीं की गई। इसके अलावा, प्रथम सूचना रिपोर्ट और अभियोक्त्री के न्यायलय में दिये गए अभिसाक्ष्य में अंतर लगता है क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी/अपीलकर्ताओं ने उसके साथ एक बार लैंगिक संभोग किया था, जबकि न्यायालय के बयान के मुताबिक उसके साथ दो बार लैंगिक संभोग किया गया था। अपने साक्ष्य के कंडिका 6 में अभियोक्त्री ने माना है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कि उसके परिवार वालों को बहुत बुरा लगा कि अपीलकर्ताओं ने गांव में अभियोक्त्री और रोशन के प्रेम प्रसंग के बारे में अफवाह फैला दी थी और इसी बात से परेशान होकर उन्होंने आरोपी/अपीलकर्ताओं को केस में फंसाने का फैसला किया और फिर रिपोर्ट दर्ज कराई। अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि अभियोक्त्री ने यह बात मानी है कि उसके पिता किसी दूसरे गांव के कोटवार होने के नाते अक्सर थाना आते-जाते थे और पुलिस के साथ उनके रिश्ते काफी अच्छे थे और वह पुलिस वालों को जो भी कहते थे, वे वही मान लेते थे। अभियोक्त्री का यह अभिकथन इस बात की संभावना को दर्शाता है कि आरोपी/अपीलकर्ताओं को गलत तरीके से फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, रोशन (अ.सा-3) और संगीता (अ.सा-5), जिन्हें अभियोक्त्री ने घटना के बारे में बताया था, उन्होंने अभियोक्त्री के मामले का समर्थन नहीं किया है। अधिवक्तागण के साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि जब उसके साथ बलात्संग हो रहा था, तो उसका चेहरा बोरी से ढका हुआ था और ऐसे में, आरोपी/अपीलकर्ताओं की पहचान की उसकी सिद्धांत बहुत ज़्यादा विश्वास करने योग्य नहीं लगता। अभियोक्त्री के चिकित्सीय परीक्षण से पता चलता है कि उस के निजी हिस्से में दर्द हो रहा था और वह लाल रंग का था और उस पर सूजन थी और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसी आधार पर उसका परीक्षण करने वाले डॉक्टर ने यह राय दी है कि उसके साथ बलात्संग हुआ था। हालांकि, अभियोक्त्री का परीक्षण करने वाले डॉक्टर ने अपने परीक्षण के कंडिका 6 में माना है कि इस तरह की चोटें तब दिखती हैं जब परीक्षण से 2 या 3 दिन पहले लैंगिक संभोग किया गया हो। अभियोक्त्री के अभिसाक्ष्य से यह भी पता चलता है कि उसने रोशन के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और इसलिए योनिच्छद के फटने और उसके द्वारा यौन संबंध बनाने की वजह से चोट लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अभियोजन के प्रकरण के अनुसार, अभियोक्त्री के साथ चार लोगों ने एक के बाद एक दो अवसरों पर बलात्संग कारित किया, लेकिन उसके शरीर पर कोई निशान नहीं दिखा, जो अभियोक्त्री के अभिकथन को गलत साबित करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उक्त चर्चा को देखते हुए, इस न्यायालय का यह मत है कि आरोपी/अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने और सज़ा देने के लिए अधीनस्थ न्यायलय द्वारा दर्ज किए गए निर्णय का आधार अभिलेखों पर उपस्थित साक्ष्यों का गलत मूल्यांकन हैं और इसलिए वह अपास्त किये जाने योग्य हैं।

11. परिणामस्वरूप, अपील मंज़ूर की जाती है। आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है। आरोपी/अपीलकर्ताओं को उनके खिलाफ लगाए गए आरोप

से दोषमुक्त किया जाता है। जैसा कि सूचित किया गया है कि वे जमानत पर हैं। उनके जमानतबंध किया जाता है। अगर जुर्माने की राशि जमा की गई हैहै, तो वह आरोपी/अपीलकर्ताओं को वापस कर दी जाए।

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By- Shubhangi Sahu